विषय :– राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की छठवीं बैठक, दिनांक 17.12.2007 का कार्यवाही विवरण।

मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की छठवीं बैठक दिनांक 17/12/2007 को प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में संपन हुई। बैठक में उपस्थित समितिं के सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट पर है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डां पर निम्नानुसार चर्चा हुई एंव निर्णय लिये गये :–

1. **एजेण्डा क्रमांक 1 :** समिति की पंचम बैठक दिनांक 24/08/2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

2. **एजेण्डा क्रमांक 2 :** समिति की पंचम बैठक दिनांक 24/08/2007 के पालन प्रतिवेदन के संबंध में सदस्य-सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया । समिति पालन प्रतिवेदन से अवगत हुई ।

3. **एजेण्डा क्रमांक 3 : मेसर्स क्यूमिंस टर्बो टेक्नोलॉजी (पूर्व नाम टाटा होलसेट लिमिटेड) देवास. का प्रथम वर्ष 2005–06 का विस्तार हेतु क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। ट्रायफेक द्वारा इकाई की विस्तारित क्षमता का दिनांक 15.01.2006 से 31.03.2006 तक, मूल स्थापित क्षमता के अन्तर्गत उत्पादन के संदर्भ में उत्पादन अधिक प्रतीत होने के कारण, वाणिज्य कर विभाग से इकाई के उक्त अवधि में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के भुगतान राशि के आधार पर उत्पादन की पुष्टि कराने के संबंध में एजेण्डा में लेख किया गया है। आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग के सुझाव के आधार पर समिति द्वारा महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास से इकाई व्दारा उक्त अवधि में उत्पादन के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।**

4. एजेंडा क्रमांक 4 : मेसर्स एडमेनम पैकेजिंग लिमिटेड, सोनवाय, राऊ का प्रथम वर्ष 2004–05 का विस्तारित क्षमता हेतु क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। ट्रायफेक द्वारा इकाई की विस्तारित क्षमता का 01.03.2005 से 31.03.2005 तक उत्पादन मूल स्थापित क्षमता के अन्तर्गत उत्पादन के संदर्भ में अधिक प्रतीत होने के कारण वाणिज्य कर विभाग से इकाई के उक्त अवधि में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के भगुतान राशि के आधार पर उत्पादन की पुष्टि कराने के संबंध में एजेण्डा में लेख किया गया है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के सुझाव के आधार पर समिति द्वारा महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर से इकाई व्दारा उक्त अवधि में उत्पादन के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

5. एजेंडा क्रमांक 5 : जयदीप इस्पात एण्ड एलॉयज प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का प्रथम वर्ष 2006–07 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर जिला धार के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिये योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूँजी निवेश रूपये 322.00 लाख (रू. तीन करोड़ बाईस लाख मात्र) की केपिंग निर्धारित की गई। इकाई व्दारा वर्ष 2006–07 में मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धन कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर की कुल जमा राशि रूपये 74,17,569/– (रू. चौहत्तर लाख सत्रह हजार पांच सौ उनहत्तर मात्र) की 50 प्रतिशत इकाई की पात्रता अनुसार कुल निवेश संवर्धन सहायता राशि रूपये 3708784.00 (रू. सैंतीस लाख आठ हजार सात चौरासी मात्र) समिति व्दारा अनुमोदित कर स्वीकृत की गई ।

6. **एजेंडा क्रमांक 6 :** भण्डारी फाइल्स एण्ड टूल्स लिमिटेड यूनिट–3 देवास का वर्ष 2006–07 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिये योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूँजी निवेश रूपये 11,54,25,517/– लाख (रू. ग्यारह करोड़ चौवन लाख पच्चीस हजार पांच सौ सत्रह मात्र) की केपिंग निर्धारित की गई। इकाई व्दारा वर्ष 2006–07 में मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर/मूल्य सवधन कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर की कुल जमा राशि रूपये **3,64,42,009/– (रू. तीन करोड़ चौसठ लाख बयालीस हजार नौ रू.** मात्र) की 50 प्रतिशत की इकाई की पात्रता अनुसार कुल निवेश संवर्धन सहायता राशि रूपये 1,82,21,005/– (रू. एक करोड़ बयासी लाख इक्कीस हजार पांच रूपये मात्र) समिति व्दारा अनुमोदित कर स्वीकृत की गई।

7. एजेंडा क्रमांक 7 : राठी आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर का प्रथम वर्ष 2005–06 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, **पीथमपुर जिला धार के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिये योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूँजी निवेश रूपये 1,706.28 लाख** (रू. सत्रह करोड़ छः लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की केपिंग निर्धारित की गई। इकाई व्दारा वर्ष 2005–06 में मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धन कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर की कुल जमा राशि रूपये 1,38,94,407/– (रू. एक करोड़ अड़तीस लाख चौरानवे हजार चार सौ सात मात्र) की 75 प्रतिशत इकाई के पात्रता अनुसार कुल निवेश संवर्धन सहायता राशि रूपये 1,04,20,805/ (रू. एक करोड़ चार लाख बीस हजार आठ सौ पांच मात्र) समिति व्दारा अनुमोदित कर स्वीकृत की गई।

8. **एजेंडा क्रमांक 8 :** मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के क्लेम प्रकरणों में पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक कर निर्धारण आदेशों के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इकाई द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर इकाई के अनुरोध पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 3 माह में कर निर्धारण आदेश जारी किया जाएगा।

9. एजेंडा क्रमांक 8 : मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अंतर्गत उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् पंजीयन के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि इस संबंध में दिनांक 03.03.2007 की बैठक में संशोधन हेतु सुझाव दिया गया था एवं संशोधन आदेश राज्य शासन के विचाराधीन है, अतः तब तक ऐसी इकायों को प्रोविजनल पंजीयन दिया जावें।

उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

(प्रवीण गर्ग)
प्रबंध संचालक,
म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड एवं सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय उद्योग निवेश

(सत्यप्रकाश)
प्रमुख सचिव
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग
निवेश संवर्धन सहायता समिति

परिशिष्ट

विषय : राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की छठवीं बैठक दिनांक 17/12/2007 में उपस्थित अधिकारियों की सूची ।

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की छठवीं बैठक दिनांक 17/12/2007 को श्री सत्यप्रकाश, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुइ।

उपस्थित सदस्य

1. श्री दीपक खाण्डेकर, उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश – सदस्य
2. श्री पी.के. दास, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर मध्य प्रदेश – सदस्य
3. श्री प्रवींण गर्ग, प्रबन्ध संचालक, एम.पी.एस.आई.डी.सी. एवं एम.पी. ट्राइफेक – सदस्य–सचिव
4. श्री मिलिंद वाईकर, उप सचिव, वित्त विभाग – प्रतिनिधि

उपस्थित अन्य अधिकारीगण

1. श्री सतीश पेंढ़ारकर, महाप्रबन्धक, एम.पी.ट्राइफेक, भोपाल ।